निर्णय ब–इजलास जगरूप सिंह यादव, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 105/2011 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये राजेन्द्र बूसर, प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स होटल मानबाग, मानबाग दिल्ली हाईवे रोड, जयपुर।
2. श्री आरीफ पुत्र श्री मो. इस्माईल, निवासी 3839 मालिया की गली, फूटा खुर्रा, रामगंज बाजार, जयपुर मालिक फर्म।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी. मय एल.पी.जी. 9.800 किलोग्राम व एक रेग्यूलेकर मय रबड पाईप को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 14-10-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 01.12.2011 को जिला रसद अधिकारी जयपुर के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलण्डरों के वाणिज्यिक दुरूपयोग करने की सूचना प्राप्त होने पर बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के साथ मैसर्स होटल मानबाग, दिल्ली हाईवे रोड, जयपुर की जांच की गई। वक्त जांच मौके पर श्री आरीफ पुत्र मो. इस्माईल उपस्थित मिले, जिन्होने स्वयं को इस फर्म का मालिक होना अवगत कराया। मौके पर फर्म की जांच करने पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी. एस आर नम्बर 344510, 352341 फर्म में रखे पाये गये। जिनमें से एक घरेलू गैस सिलेण्डर आई ओ.सी. नम्बर 344510 एस रेग्यूलेटर व रबड पाईप के माध्यम से लोहे की भट्टी से जुडा पाया गया जिस पर सब्जी बनाने का कार्य किया जा रहा था। मौके पर भट्टी को बंद करवाकर कार्य रूकवाया गया तथा गैस सिलेण्डर को अलग रखवाया गया। फर्म मालिक ने बताया कि उसके द्वारा रोटी सब्जी आदि बनाकर ग्राहको को बिक्री करने का कार्य किया जाता है। फर्म द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग किया गया है। फर्म मालिक द्वारा मौके पर गैस कनेक्शन संबंधी कोई कागजात पेश नहीं किये गये तथा कोई संतोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। मौके पर गैराज कल्याण गैस आई.ओ.सी. के श्री सम्पत सिंह को सॉल्टर मशीन के साथ बुलाकर उक्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डरो का तौल कराया गया, जिस पर सिलेण्डरों में 09.800 किलोग्राम शुद्ध एल.पी.जी. पाई गई तथा एल.पी.जी. गैस होने की पुष्टि की गई। इस प्रकार फर्म एवं फर्म मालिक द्वारा घरेलू गैस का वाणिज्यिक दुरूपयोग कर कालाबाजारी में सिलेण्डर क्रय कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये

जिला कलक्टर
जयपुर

पाईप को जब्त किया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से मैसर्स कल्याण गैस आई.ओ.सी. जयपुर के प्रतिनिधि श्री सम्पत सिंह की सुपुर्दगी में दिये गये। जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी. मय एल.पी.जी. 9.800 किलोग्राम एवं एक रेग्यूलेकर मय रबड पाईप को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 14.12.2011 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स को नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये। नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से उनके पिता उपस्थित आये, तथा जवाब हेतु अवसर चाहा। जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात भी जवाब पेश नहीं करने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस हेतु नियत पेशी पर अप्रार्थी एवं उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली वास्ते बहस पैराकार नियत की गई।

3. बहस एक पक्षीय पैरोकार रसद सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि निरीक्षण के दौरान फर्म की जांच करने पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी. फर्म में रखे पाये गये। जिनमें से एक घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी. रेग्यूलेटर व रबड पाईप के माध्यम से लोहे की भट्टी से जुड़ा पाया गया जिस पर सब्जी बनाने का कार्य किया जा रहा था। फर्म मालिक द्वारा द्वारा रोटी सब्जी आदि बनाकर ग्राहको को बिक्री करने का कार्य किया जाता है। जिससे यह सिद्ध होता है कि फर्म द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का वाणिज्यिक उपयोग किया गया है। फर्म द्वारा मौके पर गैस कनेक्शन संबंधी कोई कागजात पेश नहीं किये गये तथा कोई संतोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। घरेलू गैस केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराई जाती हैं जिसका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू सिलेण्डर का वाणिज्यिक दुरूपयोग कर कालाबाजारी कर सिलेण्डर क्रय कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी. मय एल.पी.जी. 09.800 किलोग्राम एवं एक रेग्यूलेटर मय रबड पाईप को राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।

जिला कलक्टर
जयपुर

5. हमने पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 01.12.2011 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

6. घरेलू गैस सिलेण्डर केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जाते हैं जिसका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद मौके पर दौराने निरीक्षण मैसर्स

से लोहे की भट्टी से जुडा पाया गया जिस पर सब्जी बनाने का कार्य किया जा रहा था। दुकान में रबडी, आलू प्याज की सब्जी, लहसून की चटनी बनाकर बिक्री करने का व्यवसाय किया जाता है। जिससे यह सिद्ध होता है कि फर्म द्वारा धरेलू गैस सिलेण्डरों का वाणिज्यिक उपयोग किया गया है। जिससे घरेलू गैस का वाणिज्यिक उपयोग किये जाने की पुष्टि होती है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू गैस का वाणिज्यिक दुरूपयोग कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लंघन किया जाना स्पष्ट जाहिर होता है। फलस्वरूप जब्त शुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी. मय एल.पी.जी. 9.800 किलोग्राम एवं एक रेग्यूलेटर मय रबड पाईप को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में अप्रार्थीगण के कब्जे से जब्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर 1 आई.ओ.सी. मय एल.पी.जी. 9.800 किलोग्राम एवं एक रेग्यलेटर मय रबड पाईप को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त सिलेण्डर के अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश पूर्व में पारित किये जा चुके है। तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।

8. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

9. निर्णय आज दिनांक 14-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर